

प्रारूप-14

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.911 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

आयशासी आभयन्त्र
पानीय खण्ड लोक निर्माण
प्रयोक्ता एजेन्सी
पिथौरागढ़

ह०/
प्रभागीय वन अधिकारी

ह०/
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

ह०/
(व०२०)

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

ह०/
बहलीलदा
पिथौरागढ़

ह०/
लिखित सिफारिश
राजस्व अधिकारी
तहसील
दिला

ह०/
उप जिल्हा अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)